लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश

प्रदेश में सी.पी.एस मुम्बई द्वारा संचालित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका
(शैक्षणिक सत्र 2022–24)

//सूचना//

क्र./प्रशिक्षण/2022/568 — भोपाल, दिनांक 23/11/2022

प्रदेश के 19 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में कॉलेज ऑफ फिजीशियनस् एण्ड सर्जनस्, मुम्बई से संबद्धता प्राप्त विभिन्न स्नातकोत्तर विधाओं के लिए 02 वर्षीय पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2022–24) में प्रवेश हेतु एतद् द्वारा सेवारत चिकित्सकों की सेवा संबंधी जानकारी आमंत्रित की जाती है।

सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विभागीय नियम पुस्तिका विभागीय वेबसाईट **http:://www.health.mp.gov.in/en/training-orders** पर उपलब्ध है।

नीट पी.जी. 2022 क्वालिफाईड पात्र सेवारत (नियमित/संविदा) चिकित्सकों की सेवा संबंधी अभिप्रमाणित जानकारी संलग्न **FORM-8, FORM-8 A** तथा **FORMAT-C** हार्ड कॉपी संचालनालयीन प्रशिक्षण शाखा में एवं ई–मेल आई.डी. **training.dhs@mp.gov.in** पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक) द्वारा आधिकारिक ई–मेल आई.डी. से प्रेषित की जाए।

सेवारत चिकित्सकों की सेवा अवधि संबंधी वांछित जानकारी **FORM-8, FORM-8 A** तथा **FORMAT-C** में (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील सहित) प्रेषित करने की अंतिम तिथि दिनांक 30 नवम्बर 2022 है।

नीट पी.जी. 2022 क्वालिफाईड पात्र चिकित्सकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में किया जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन आमंत्रण की सूचना विभागीय एवं एम.पी.ऑनलाईन के आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी।

संलग्न – सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा (शैक्षणिक सत्र 2022–24) नियम पुस्तिका

(दिनेश श्रीवास्तव) 23/11/22
संचालक,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्य प्रदेश

प्रदेश में सी.पी.एस मुम्बई द्वारा संचालित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका
(शैक्षणिक सत्र 2022–24)

- प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों को कॉलेज ऑफ फिजीशियन्स एण्ड सर्जन्स (सी.पी.एस.), मुम्बई के द्वारा संबद्ध विभिन्न विषयों में एम.बी.बी.एस. उपरान्त 2 वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु **अनुलग्नक–1** में दर्शाये संस्थावार सीटों के विभाजन अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जानी है।
- अनुलग्नक–1 में दर्शाये सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स की संख्या प्रावधिक है, वास्तविक संख्या कम भी हो सकती है।
- **चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने वाली संस्था – राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) द्वारा निम्न विषयों में सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त हैः–**
  - i. स्त्री एवं प्रसूति रोग (DGO)
  - ii. शिशु रोग (DCH)
  - iii. पैथोलॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी (DPB)
- **म.प्र आर्युविज्ञान परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 के द्वारा निम्न विषयों में सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई हैः–**
  - i. निश्चेतना (DA)
  - ii. जनरल मेडिसिन (DGM)
  - iii. जनरल सर्जरी (DGS)
  - iv. साईकोलॉजिकल मेडिसिन (DPM)

1. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2022–24) में चयन मापदण्ड एवं पात्रता

i. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु प्रवेश वर्ष की पी.जी. नीट क्वालिफाईड होना अनिवार्य है अर्थात् वर्ष 2022 में प्रवेश के लिए पी.जी. नीट 2022 क्वालिफाईड होना अनिवार्य है।

ii. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पुरूष तथा महिला चिकित्सकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त आयु सीमा में पृथक से कोई छूट नहीं रहेगी।

iii. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रथमतः नियमित चिकित्सा अधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी एवं तदोपरान्त शेष रिक्त सीट्स पर प्रवेश हेतु संविदा चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्त में ओपन श्रेणी के चिकित्सकों को विचार में लिया जायेगा।

iv. सी.पी.एस. पी.जी डिप्लोमा सीट्स हेतु Schedule-1 of IMC Act, 1956 के अंतर्गत स्थापित प्रावधान अनुसार 50% सीट, प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सेवारत चिकित्सा अधिकारियों (नियमित – Regular In-service / संविदा – Contractual In-service) द्वारा दर्शाए प्राथमिकता अनुसार भरी जाएगी।

2. सेवा अवधि की गणना

i. नियमित / संविदा चिकित्सा अधिकारियों की सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम 01 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि (बिना किसी अनाधिकृत अवकाश के) पूर्ण होना अनिवार्य होगा।

ii. सेवारत चिकित्सक के रूप में अधिमान्यता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अधीन की गई संविदा सेवा अवधि एवं म.प्र. के स्वास्थ्य संस्थानों में शासकीय नियमित सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, 01 वर्ष के निर्बाध सेवाकाल की गणना की जाएगी।

iii. सेवा अवधि की गणना हेतु चिकित्सक की संविदा व नियमित सेवा की संयुक्त सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि की गणना की जाएगी, जिसमें संविदा सेवा समाप्ति दिनांक एवं नियमित सेवा के प्रारम्भ दिनांक में अधिकतम 03 माह के अंतराल को मान्य किया जाएगा।

iv. सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2022–24) में प्रवेश हेतु सेवारत नियमित/संविदा चिकित्सा अधिकारियों की विभागीय सेवा अवधि की गणना **दिनांक 31 जुलाई 2022 की स्थिति अनुसार** की जायेगी।

v. सेवा अवधि की गणना, आवेदक चिकित्सक द्वारा प्राप्त 06 माह या उससे अधिक अवधि के दीर्घकालीन प्रशिक्षण अथवा अन्य कोई स्नातकोत्तर अध्ययन अवधि को छोड़कर गणित की जाएगी।

vi. सी.पी.एस. पी.जी डिप्लोमा शैक्षणिक सत्र अवधि के दौरान अन्य किसी शैक्षणिक प्रशिक्षण (पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा/अन्य कोई दीर्घकालिक प्रशिक्षण) प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

vii. किसी अन्य प्रशिक्षण के बंध पत्रक अवधि को पूर्ण करने के पूर्व, विभागीय सेवारत नियमित/संविदा चिकित्सक सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

viii. **पात्रता रखने वाले नियमित तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के संविदा चिकित्सकों को सेवारत चिकित्सक के रूप में अधिमान्यता एवं अधिभार अंक प्राप्त करने हेतु नियंत्रणकर्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से सेवा अवधि संबंधी अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र निर्धारित Form 8, Form 8 A एवं Format C (क्रमशः अनुलग्नक 2, 3 एवं 4) मूल प्रति में संचालनालयीन प्रशिक्षण शाखा तथा सॉफ्ट कॉपी में training.dhs@mp.gov.in पर दिनांक 30/11/2022 तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा।**

ix. **नियंत्रणकर्ता अधिकारी के अभिप्रमाणिकरण के बिना प्राप्त Form 8, Form 8 A एवं Format C पर तथा निर्धारित दिनांक तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में अभिप्रमाणित मूल प्रति प्राप्त न होने पर नियमित/संविदा चिकित्सक के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।**

x. म.प्र. शासन के आदेश क्र. एफ 14–01/2019/सत्रह/मेडि–1 दिनांक 28/02/2019 द्वारा नीट पी.जी. में चयनित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चिकित्सकों हेतु स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा दंत स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में सेवारत अभ्यर्थी के रूप में अतिरिक्त अंक प्रदान करने संबंधी दिशा निर्देश है, जिसके सरल क्र. 2 में निम्नानुसार स्थापित है:–

"2. सेवारत अभ्यर्थी का लाभ निम्नांकित मापदण्ड अनुसार अनुसूची (1) एवं (2) में वर्णित "ग्रामीण/दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्र" में स्थित संस्थाओं हेतु प्रदान किया जावेगा:–

(अ) अनुसूची (1) में उल्लेखित 89 आदिवासी विकासखण्डों में स्थित समस्त स्वास्थ्य सेवाएं।

(ब) अनसूची (2) में उल्लेखित सामान्य क्षेत्रों के लिए –
सामान्य क्षेत्र के विकासखण्डों में स्थित समस्त सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो –

(i) नगर–निगम एवं नगर पालिका सीमा में स्थित न हो।

(ii) नगर–निगम मुख्यालय के 0 ''शून्य'' मील के पत्थर से 25 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थित न हो।

(iii) नगर पालिका मुख्यालय के 0 ''शून्य'' मील के पत्थर से 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थित न हो।

उपरोक्त अनुसूची (1) एवं अनुसूची (2) में निहित शर्तें पूर्ण करने वाली संस्थाओं के अद्यतन सूची में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं यथासमय संस्थाओं के उन्नयन/स्वीकृति उपरान्त इसमें परिवर्तन कर सकेंगे।''

xi. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्क्रम में प्रवेश हेतु नियमित तथा संविदा आवेदक चिकित्सकों की उपरोक्त अनुसार अधिसूचित आदिवासी विकासखण्ड तथा ''ग्रामीण/दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्र'' में स्थित संस्थाओं में की गई सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त अधिभार अंकों की गणना की जाएगी।

3. ऑनलाईन आवेदन, काउंसलिंग एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया

i. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन द्वारा संपादित की जायेगी।

ii. ऑनलाईन आवेदन के साथ आवेदक चिकित्सकों के द्वारा निम्न दस्तावेज़ों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति अपलोड की जाना होगीः–

a) NEET PG 2022 Score Card
b) MBBS Degree
c) Permanent Registration Certificate by State Medical Council
d) Provisional Registration Certificate by State Medical Council (if Permanent Registration is awaited)
e) Govt. approved Photo ID Proof
f) Copy of 1st Appointment Order (For Regular/Contractual In-service doctors)
g) Caste Certificate (if applicable)

सरल क्र. a, b, c/d (में से कोई 1), e तथा f अर्थात न्यूनतम 5 दस्तावेज़ ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

iii. पी.जी. नीट 2022 क्वालिफाईड इच्छुक चिकित्सकों के द्वारा विषय एवं स्थान संबंधी Choice Filling का विकल्प ऑनलाईन आवेदन में भरा जाना होगा, जिसके आधार पर श्रेणी (इन सर्विस नियमित/इन सर्विस संविदा/ओपन), वरीयता एवं आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सीट आवंटन की ऑनलाईन प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन द्वारा की जायेगी।

iv. सी.पी.एस. पी.जी डिप्लोमा की काउंसलिंग एवं सीट आवंटन हेतु समस्त जानकारी एम.पी. ऑनलाईन एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी एवं अभ्यर्थी द्वारा समय–समय इसकी जांच स्वयं की जाना होगी।

v. वरियता निर्धारण हेतु संचालनालयीन विज्ञप्त शाखा द्वारा सेवारत् (नियमित) चिकित्सकों का एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन शाखा द्वारा आवेदक चिकित्सक द्वारा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में की गई सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रति वर्ष 10 प्रतिशत अंकों के मान से अधिकतम 30 प्रतिशत अधिभार अंक जोड़कर गणना की जावेगी। तदानुसार पी.जी नीट स्कोर तथा अधिभार अंक सम्मिलित करते हुए अंतिम वरीयता सूची निर्धारित की जावेगी।

vi. आवेदक चिकित्सकों के द्वारा सेवा संबंधी अधिमान्यता एवं अधिभार अंकों के संबंध में त्रुटि सुधार हेतु प्रतिवेदन, विभागीय पोर्टल पर विभागीय अभ्यर्थी (In-service candidates) के सूची प्रकाशन दिनांक के 01 सप्ताह के भीतर, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को संबोधित करते हुए हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिवेदन पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी का आवरण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदानुसार प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार कर विभागीय अभ्यर्थियों की अंतिम सूची एम.पी.ऑनलाईन के साथ सांझा की जाएगी।

vii. विभागीय पोर्टल पर विभागीय अभ्यर्थी की सूची प्रकाशन के 01 सप्ताह उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. आरक्षण

i. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा सीट के आवंटन हेतु श्रेणीवार आरक्षण निम्नानुसार होगाः–

श्रेणी	**आरक्षण प्रतिशत** %
अनुसूचित जाति (SC)	16
अनुसूचित जनजाति (ST)	20
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)	10

ii. ऑनलाईन काउंसलिंग के द्वितीय चक्र के दौरान आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आवंटन निम्न क्रम से किया जावेगाः –

A. अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को
B. अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को
C. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के रिक्तियों के विरूद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एवं
D. उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को
E. काउंसलिंग के अंतिम चक्र में आरक्षित श्रेणी विशेष का अहर्ताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, ऐसी श्रेणी की रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश दिया जाएगा।

iii. अभ्यर्थी चिकित्सकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर विकल्पों के चयन अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से उपलब्ध सीट, पंजीकृत अभ्यर्थी के विकल्पों एवं आरक्षण का परस्पर मिलान करते हुए वरीयता क्रम से पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम, विषय एवं अस्पताल विर्निदिष्ट करते हुए आवंटन आदेश जारी किया जाएगा।

iv. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु श्रेणीवार एवं विषयावार आरक्षित सीटों का विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No	**Subject**		**Tentative No. of C.P.S. P.G. Diploma Seats**				
		Total	**ST**	**SC**	**OBC**	**EWS**	**UR**
1	**Dip. in Gynae & Obstetrics (DGO)**	**22**	**04**	**04**	**03**	**00**	**11**
2	**Dip. in Child Health (DCH)**	**14**	**03**	**03**	**02**	**00**	**07**
3	**Dip. in Anaesthesia (DA)**	**08**	**02**	**01**	**01**	**00**	**04**
4	**Dip. in General Medicine (DGM)**	**20**	**03**	**03**	**03**	**02**	**08**
5	**Dip. in General Surgery (DGS)**	**20**	**04**	**03**	**03**	**05**	**05**
6	**Dip. in Pathology & Bacteriology**	**04**	**01**	**01**	**00**	**01**	**01**

	(DPB)						
7	**Dip. in Psychological Medicine (DPM)**	**04**	**01**	**00**	**01**	**01**	**01**
	*** नोट– 1. राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।** **2. राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत क्रीमी लेयर की परिधि में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा।** **3. श्रेणीवार, विषयवार एवं संस्थावार सीट विवरण अनुलग्नक–5 पर संलग्न है।**						

5. **च्वाईस फिलिंग –** अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम अथवा असीमित च्वाईस फिलिंग के विकल्प भरे जा सकते है। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी प्राथमिकता अनुसार विकल्पों का क्रम तय किया जा सकता है।

6. **वरीयता सूची का प्रकाशन –** विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एम.पी. ऑनलाईन तथा विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

7. **ऑनलाईन काउंसलिंग–**

i. सी.पी.एस. पी.जी डिप्लोमा सीट्स पर प्रवेश हेतु तीन चरणों (प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं मॉप–अप/अंतिम चरण) में चरणबद्ध काउंसलिंग की जायेगी। प्रथम चक्र में सीट आवंटन के पश्चात शेष रिक्त सीट्स की जानकारी विभागीय एवं एम.पी. ऑनलाईन की वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी। इच्छुक चिकित्सकों द्वारा निर्धारित अवधि में संशोधित Choice Filling एम.पी. ऑनलाईन द्वारा निर्मित विन्डो में इन्द्राज किया जाना होगा।

ii. द्वितीय चक्र के काउंसलिंग के पश्चात पुनः शेष रिक्त सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स की जानकारी विभागीय एवं एम.पी. ऑनलाईन की वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी एवं इच्छुक चिकित्सकों द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार पुनः Choice Filling एम.पी. ऑनलाईन द्वारा निर्मित विन्डो में इन्द्राज करना होगी।

iii. प्रथम एवं द्वितीय चक्र में आरक्षित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची, श्रेणीवार आरक्षण एवं च्वाईस फिलिंग के आधार पर आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी।

iv. मॉप–अप/अंतिम चरण की काउंसलिंग में तदानुसार शेष सभी सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स को आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर मेरिट एवं च्वाईस के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया की जायेगी।

v. जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में हो चुका है, किंतु उनके द्वारा प्रवेश न लिया गया हो तो, उन्हें भी सी.पी.एस. के ऑनलाईन आवेदन एवं काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता होगी।

vi. **किसी भी चरण में आवंटन उपरान्त प्रवेश न लेने पर अथवा आवंटित सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा सीट पर ज्वाईनिंग उपरान्त अभ्यर्थी के त्याग पत्र देने पर, उक्त अभ्यर्थी को परवर्ती चरणों के काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अपात्र किया जाएगा एवं उसे आगामी 02 वर्षों तक प्रदेश के संस्थानों में सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वर्जित किया जाएगा।**

vii. चयनित चिकित्सक द्वारा तय समय–सीमा में उपस्थिति नहीं देने पर उक्त सीट को रिक्त मानते हुए उसे परवर्ती काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा।

viii. आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात चयनित चिकित्सक द्वारा सी.पी.एस. पी.जी पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु कोई दावा/आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ix. **सी.पी.एस. संस्था द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश/ज्वाईनिंग संबंधी जानकारी अनिवार्यतः पोर्टल पर G2G Login पर आवंटित संस्थान द्वारा दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने**

पर आवंटित सीट को रिक्त मानते हुए आगामी चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा।

x. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु आवंटित सीट के अपग्रेडेशन, विधा परिवर्तन अथवा आवंटन प्राप्त चिकित्सकों द्वारा आपसी स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी।

8. **नियमित चिकित्सकों का वेतन** – सभी नियमित चिकित्सा अधिकारियों के अध्ययन अवधि के दौरान संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के कार्यालय स्थापना शाखा द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के पदों के विरूद्ध वेतन आहरण की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु चयनित चिकित्सा अधिकारी द्वारा पदस्थापना स्थल से सेवा पुस्तिका की मूल प्रति संचालनालयीन कार्यालय स्थापना शाखा में निर्धारित समय–सीमा में जमा कर पावती प्राप्त करना होगा ताकि समय पर वेतन आहरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

9. **संविदा एवं ओपन श्रेणी के चिकित्सकों का स्टायपण्ड** – संविदा चिकित्सा अधिकारियों एवं ओपन श्रेणी के चयनित चिकित्सकों को अध्ययन अवधि के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पी.जी. डिप्लोमा रेसीडेन्ट चिकित्सकों के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्टायपण्ड प्रदान किया जावेगा। वर्तमान में स्टायपण्ड की प्रचलित दरें निम्नानुसार हैः–

- प्रथम वर्ष में – रू. 65,000/– प्रति माह
- द्वितीय वर्ष में – रू. 67,000/– प्रति माह

10.ओपन श्रेणी के चिकित्सक हेतु निर्देश –

i. ओपन श्रेणी के अभ्यर्थी चिकित्सकों को सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा सीट् आवंटित होने पर संबंधित अस्पताल के रोगी कल्याण समिति में प्रति वर्ष रू. 12,50,000/– (बारह लाख पचास हजार मात्र) की फीस राशि का भुगतान करना होगा। फीस हेतु जमा राशि नॉन रिफन्डेबल होगी। यह राशि आवंटित सीट पर ज्वॉईनिंग दिनांक के 15 दिवस के भीतर जमा की जानी होगी।

ii. ऐसे नियमित/संविदा चिकित्सक, जिनकी निर्धारित न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है, को ओपन श्रेणी के अंतर्गत आवंटन प्राप्त हो सकेगा एवं ऐसे चिकित्सकों को निर्धारित फीस राशि (रू. 12,50,000/– प्रति अध्ययन वर्ष) जमा करना अनिवार्य होगा।

iii. ओपन श्रेणी से सीट आवंटन प्राप्त सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्ययनरत चिकित्सकों को स्टायपण्ड राशि का भुगतान आवंटित संस्थान के रोगी कल्याण समिति में जमा राशि से किया जाएगा।

iv. ओपन श्रेणी के चिकित्सकों को प्रदायित स्टायपण्ड राशि का संपूर्ण रिकार्ड संधारण आवंटित संस्थान के कार्यालय स्थापना द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

v. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु ओपन श्रेणी से सीट आवंटन प्राप्त होने पर नियमित चिकित्सकों को अध्ययन की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जायेगी कि उक्त पाठ्यक्रम के अध्ययन उपरांत संबंधित संस्थान प्रभारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के 07 दिवस की समयावधि में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी ताकि उक्त पी.जी. पाठ्यक्रम अवधि को ''असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave)'' के रूप में मान्य किया जा सके।

vi. चयनित नियमित चिकित्सक द्वारा उपरोक्त अनुसार निर्धारित समयावधि में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल में उपस्थिति दर्ज न करने पर उक्त पाठ्यक्रम अवधि को अकार्य दिवस/Dies-non माना जाएगा।

vii. ओपन श्रेणी से सीट आवंटन प्राप्त संविदा चिकित्सकों द्वारा आवंटित संस्थान में उपस्थिति दिनांक के 01 माह के भीतर, सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन की विशेष अनुमति मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. से प्राप्त किया जाना होगा।

11.दस्तावेज़ प्रमाणिकरण –

i. सी.पी.ए.स पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्न प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां आवंटित संस्था प्रमुख को पुष्टि हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगाः–

a. NEET PG 2022 score Card
b. MBBS Degree
c. Permanent Registration Certificate by State Medical Council
d. Provisional Registration Certificate by State Medical Council (If Permanent Registration is awaited)
e. Govt. approved Photo ID Proof
f. Caste Certificate (if applicable)

ii. सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीट आवंटन, प्रावधिक है एवं आवंटित संस्था में मूल प्रति के सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सीट आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

12.रेकॉर्ड संधारण –

i. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि के दौरान समस्त चयनित एवं उपस्थिति दर्ज कराने वाले नियमित, संविदा एवं ओपन श्रेणी के समस्त चिकित्सकों की मूल एम.बी.बी.एस. डिग्री तथा म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा जारी स्थायी पंजीयन प्रमाण–पत्र/प्रोविजनल पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि स्थायी पंजीयन अपेक्षित हो तो) (Original MBBS Degree and Permanent Registration Certificate by MPMC/Provisional Registration Certificate by MPMC - if Permanent Registration is awaited) का वेरिफिकेशन उपरांत सुरक्षित संधारण आवंटित संस्थान के कार्यालय स्थापना में सुनिश्चित किया जाएगा।

ii. पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने पर नियमित एवं संविदा श्रेणी से सीट आवंटन प्राप्त चिकित्सकों की कार्यमुक्ति आदेश के साथ संबंधित चिकित्सकों के मूल दस्तावेज क्रमशः अपर संचालक, प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. तथा संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. को उपलब्ध कराने का दायित्व आवंटित संस्था प्रमुख का होगा, ताकि बंध पत्र अवधि का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

iii. समस्त नियमित/संविदा श्रेणी चिकित्सकों की बंध पत्र अवधि के दौरान मूल दस्तावेजों का संधारण क्रमशः संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के कार्यालय स्थापना में सुनिश्चित की जायेगी।

iv. ओपन श्रेणी से सीट आवंटन प्राप्त नियमित चिकित्सकों को बॉण्ड भरने की अनिवार्यता नहीं होने के कारण, सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शैक्षणिक अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ऐसे चिकित्सकों के मूल दस्तावेज, आवंटित संस्था प्रभारी द्वारा विमुक्त किये जा सकेंगे।

13.बंध पत्र (Bond) विवरण –

i. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2022–24) हेतु आवंटित सीट पर अध्ययन पूर्ण होने के पूर्व सीट छोड़ने/निष्कासित होने अथवा सी.पी.एस. पी.जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त नियमित/संविदा चिकित्सा अधिकारी को विभाग द्वारा निर्दिष्ट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा देने संबन्धी बॉन्ड राशि रू. 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) का बंध

पत्र संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र/मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र (संविदा चिकित्सा अधिकारियों हेतु) के पक्ष में करना अनिवार्य होगा।

ii. इस हेतु नियमित चिकित्सकों द्वारा संलग्न **अनुलग्नक – 6** एवं संविदा चिकित्सकों द्वारा **अनुलग्नक – 7** अनूरूप बंध पत्र राशि रु. 20.00 लाख का 0.5 प्रतिशत अर्थात् राशि रु. 10,000/– मूल्य के शपथ–पत्र पर बंध पत्र का निष्पादन किया जाना होगा।

iii. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2022–24) हेतु आवंटित सीट पर अध्ययन पूर्ण होने के पूर्व सीट छोड़ने/निष्कासित होने/निर्दिष्ट स्थान पर 03 वर्ष तक निर्बाध सेवा न करने की स्थिति में राशि रुपये 20 लाख का भुगतान ''बॉड फीस'' के रूप में राज्य के कोष एवं लेखा वित्त विभाग के बजट हेड 0210–Medical,80-General, 800-Other Miscellaneous Receipt में साईबर चालान द्वारा जमा किया जाना होगा।

iv. ओपन सीट पर चयनित चिकित्सक को बॉन्ड भरने की अनिवार्यता नहीं होगी।

v. सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा में चयन उपरान्त उपरोक्त अनुसार बंध पत्र चयनित नियमित चिकित्सक द्वारा संचालनालयीन कार्यालय स्थापना में स्वयं जमा कर, पावती प्राप्त की जाना होगी।

14.पाठ्यक्रम शुल्क– सी.पी.ए.स पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सीट आवंटित होने के उपरान्त सी.पी.एस. मुम्बई द्वारा निर्धारित निम्नानुसार शुल्क का भुगतान चयनित चिकित्सक द्वारा स्वयं करना होगाः–

- Admission Eligibility, Enrollment (Diploma) and E-Learning Fees - Rs. 85,000/-
- CPS Diploma Courses Electronic Monitoring Device (EMD) Study Material Fees – 75,000/-

15.सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययन अवधि के दौरान अवकाश

i. 05 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले नियमित चिकित्सकों को म.प्र. सिविल सेवाएं (अवकाश नियम), 1977 के स्थापित प्रावधानों के अनुसार अध्ययन अवकाश की पात्रता होगी।

ii. अध्ययन अवकाश साधारणतः ऐसे नियमित चिकित्सकों के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी –

a) जो शासकीय सेवा में नियमित नहीं है;

b) जिसकी शासन के अधीन 05 वर्ष से कम की सेवा है। (तदर्थ सेवा सहित – including service in ad hoc capacity)

c) जो सेवानिवृत्त होने वाला है या जिस तारीख को वह अवकाश समाप्ति पर अपने कार्य पर वापस लौटने वाला है, उससे 03 वर्ष के अन्दर जिसने शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने का चयन किया है।

iii. नियमित, संविदा तथा ओपन श्रेणी के छात्र चिकित्सकों पर अध्ययन अवधि के दौरान सी.पी.एस. मुम्बई द्वारा जारी "Leave During Resident Posting" लागू होगा।

iv. सी.पी.एस. पाठ्यक्रम के दौरान सी.पी.एस पी.जी.डिप्लोमा छात्र चिकित्सक को अधिकतम 08 आकस्मिक अवकाश प्रति वर्ष की पात्रता होगी जिसकी स्वीकृति संबंधित विधा के सी.पी.एस. यूनिट हेड के अनुशंसा के आधार पर संस्था प्रभारी द्वारा दी जा सकेगी।

v. सी.पी.एस पी.जी.डिप्लोमा छात्र चिकित्सक द्वारा 02 वर्षीय पाठ्यक्रम (24 माह) के दौरान निर्धारित अवकाश (08 दिवस प्रतिवर्ष) से अधिक दिवस के अवकाश अवधि को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन अवधि में तदानुसार वृद्धि की जाएगी जिसके लिए संबंधित संस्था प्रभारी द्वारा

संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं को विधिवत प्रस्ताव मय अनुशंसा के, प्रेषित किया जाना होगा।

vi. उपरोक्त अतिरिक्त अवधि के दौरान अभ्यर्थी के मानदेय स्वीकृति संबंधी उचित निर्णय नियमित सेवारत चिकित्सकों के लिए अपर संचालक, कार्यालय स्थापना/विज्ञप्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र एवं संविदा व ओपन श्रेणी के छात्र चिकित्सकों के लिए मिशन संचालक/संचालक, एन.एच.एम., म.प्र द्वारा लिया जाएगा। इस हेतु संस्था प्रभारी द्वारा प्रस्ताव मय अनुशंसा के संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया जाना होगा।

vii. गर्भवती छात्र चिकित्सकों को राज्य शासन के प्रचलित नियम अनुसार मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी परन्तु उक्त अवकाश अवधि को पाठ्यक्रम अवधि में गणित नहीं किया जाएगा। अतः, मातृत्व अवकाश के समतुल्य अवधि अनुरूप पाठ्यक्रम अवधि में वृद्धि की जाएगी परन्तु इस अवधि के दौरान वेतन/मानदेय का प्रचलित नियम अनुसार भुगतान किया जाएगा।

सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संबद्ध अस्पतालों एवं विषयवार सीट विवरण

Sr. No.	Name of the Institution	Subject	Total CPS PG Diploma Seats
1.	District Hospital, Bhopal	DGO	4
		DCH	4
		DA	2
		DGM	4
		DPB	2
2.	District Hospital, Ratlam	DCH	2
		DGM	2
		DGS	4
		DA	2
3.	District Hospital, Ujjain	DCH	2
		DGM	2
		DGS	2
4.	Civil Hospital, PC Sethi, Indore	DGO	2
		DCH	2
		DA	2
5.	District Hospital, Mandsaur	DGS	4
		DA	2
6.	District Hospital, Hoshangabad	DGO	4
		DGS	2
7.	District Hospital, Shivpuri	DGO	2
		DGS	2
8.	District Hospital, Barwani	DGS	2
9.	District Hospital, Chhindwara	DGO	2
		DGM	2
10.	District Hospital, Vidisha	DCH	2
		DGM	2
		DGS	2
11.	District Hospital, Sehore	DGM	2
		DPB	2
12.	District Hospital, Shahdol	DGM	2
		DGS	2
13.	Civil Hospital, Rani Durgawati, Jabalpur	DGO	4
14.	District Hospital, Sagar	DGO	2
15.	District Hospital, Satna	DCH	2
16.	District Hospital, Khandwa	DGM	2
17.	Kamla Nehru Gas Rahat Hospital, Bhopal	DGM	2
18.	Indira Gandhi, Gas Rahat, Hospital Bhopal	DGO	2
19.	Mansik Arogya Shala, Gwalior	DPM	4
Total CPS PG Diploma Seats			92

FORM-8

अनुलग्नक–2

Form For In-Service Candidate

(For CPS PG Diploma Course Academic Session 2022-24)

Hard copy to be submitted in original at DHS and e-mailed on training.dhs@mp.gov.in

Photo

NEET PG 2022 Score ....

NEET PG 2022 Roll No ....

Name of Candidate..

Father's Name...

Date of Birth ....(In Words) ....

Caste of Schedule Tribe/Schedule Caste/Backward Class/ Unreserved (attach certificate)

Place of posting PHC/CHC/CH/DH .... Distt. ....

Permanent address House No. ....Village/Mohalla............................ Tehsil

.... District ....Pin Code ....

Address for Correspondence House No................Village/Mohalla ....

Tehsil .... District .... Pin Code ....

Telephone No with code Residence .... Mobile No................................

Date of First Appointment...... /...................... /........

Whether selected by PSC? Yes/No. ....

Date of PSC confirmation .... PSC Merit No. ....

Whether Regularized by Dept.? Yes/No. ....

Date of Regularization .... Order No. ....

Whether working as NHM Contractual Doctor? ....

Details of under graduate Medical Degree .... Year of passing ....

Whether holding any PG Degree/Diploma .... Year of passing ....

Whether currently pursuing any other PG Degree/Diploma Course ....

Whether serving bond period after any long-term dept. sponsored training ......

Whether Appeared in any All-India Test & refused admission..............................

Medical Council Registration No. ....

Declaration

I, do hereby solemnly affirm that the information given by me is correct to the best of my knowledge & belief. The information if found incorrect, my candidature shall be forfeited.

Signature

Name ....

Date ....

FORM-8 -A

अनुलग्नक–3

Details of posting as Medical Officer/Asst. Surgeon
(For CPS PG Diploma Course Academic Session 2022-24)

Hard copy to be submitted in original at DHS and e-mailed on training.dhs@mp.gov.in

Dr...

SN	Place of Posting	Place of Actual Work	Period of Posting	Whether Rural/ Tribal/General Area	If Place of posting in Anusuchi-1 & Anusuchi-2 of Govt. Order No F 14-01/2019/17/med1-Dt 28-2-2019, then its serial no as Anusuchi-1-S.no. Anusuchi-2-S.no.	Any period of Dies- non/Trg. or Unsettled Leave case /AnyDE/Lokayukt/ EOW (Mention period)
1	2	3	4	5	6	6
	As Samvida (300/NHM)					
	As Regular					

This is to certify that above posting/Place of work has been verified from Service book/ personally and is correct. This is also certified that there is no pending/pending unsettled leave for period of .... (Mention dates). This is also certified that Dr. ....'...................... is working as Regular/Contractual 300/NHM Medical Officer from ....

Place ....

Date ....

Chief Medical and Health Officer (with Seal of Office)

Name ....

Mobile No...

Certificates to be attached: - (1) MBBS Mark Sheet (2) Certificate of Caste for reserved category (3) High School Certificate (for age verification) (4) Certificate for Rural Service (in Format 'C') (5) Duly attested photocopy of relevant portion of Service book showing rural posting and leave/unauthorized absence/long training during rural posting/attachment etc.

अनुलग्नक–4

Format - C

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला ....

(For CPS PG Diploma Course Academic Session 2022-24)

Hard copy to be submitted in original at DHS and e-mailed on training.dhs@mp.gov.in

क्रमांक दिनांक

–:: सेवा/शिकायत संबंधी प्रमाण–पत्र ::–

डॉ. ...., शैक्षणिक योग्यता .... पदस्थापना स्थल .. ..जिला .... के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. .... निम्न अवधियों में विभाग अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत रहे है :–

क्र.	पदस्थापना स्थल एवं जिला	किस पद पर (संविदा एन.एच.एम. /नियमित/नियमित संविदा/300 पद संविदा)	दिनांक से	दिनांक तक	रिमार्क निरंतर कार्यरत रहे अथवा /अनुपस्थित अवधि अनाधिकृत अनुपस्थिति जिसका निराकरण नहीं हुआ है का उल्लेख करें एवं सहपत्र संलग्न करें
1					
2					
3					

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं में कार्य अवधि के दौरान डॉ. ....के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/अनाधिकृत अनुपस्थिति प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण/लोकायुकत प्रकरण/अपराधिक आदि प्रकरण प्रचलन में नहीं है । (यदि प्रचलित है तो अभिलेख सहित विवरण प्रस्तुत किया जावे)

उपरोक्त प्रमाण–पत्र चिकित्सक के सेवा अभिलेख के परीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(स्थापना लिपिक का नाम एवं पद तथा मोबाईल क्रमांक)	(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नाम एवं मोबाईल क्रमांक)

सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा (शैक्षणिक सत्र 2022–24) हेतु संस्थावार, श्रेणीवार एवं विषयवार सीट चार्ट

Sr. No.	Name of the Institution	Subject	Total CPS PG Diploma Seats	ST	SC	OBC	EWS	UR
1.	District Hospital, Bhopal	DGO	4	1	1	0	0	2
		DCH	4	1	1	1	0	1
		DA	2	1	0	0	0	1
		DGM	4	1	0	1	1	1
		DPB	2	1	0	0	0	1
2.	District Hospital, Ratlam	DCH	2	1	0	0	0	1
		DGM	2	0	1	0	0	1
		DGS	4	0	1	1	1	1
		DA	2	0	1	0	0	1
3.	District Hospital, Ujjain	DCH	2	0	1	0	0	1
		DGM	2	0	0	0	1	1
		DGS	2	0	0	1	0	1
4.	Civil Hospital, PC Sethi, Indore	DGO	2	0	0	1	0	1
		DCH	2	0	0	1	0	1
		DA	2	1	0	0	0	1
5.	District Hospital, Mandsaur	DGS	4	1	1	0	1	1
		DA	2	0	0	1	0	1
6.	District Hospital, Hoshangabad	DGO	4	1	1	0	0	2
		DGS	2	1	0	0	1	0
7.	District Hospital, Shivpuri	DGO	2	0	1	0	0	1
		DGS	2	0	0	1	0	1
8.	District Hospital, Barwani	DGS	2	1	0	0	1	0
9.	District Hospital, Chhindwara	DGO	2	0	0	1	0	1
		DGM	2	1	0	0	0	1
10.	District Hospital, Vidisha	DCH	2	1	0	0	0	1
		DGM	2	0	1	0	0	1
		DGS	2	1	0	0	1	0
11.	District Hospital, Sehore	DGM	2	0	0	1	0	1
		DPB	2	0	1	0	1	0
12.	District Hospital, Shahdol	DGM	2	1	0	0	0	1
		DGS	2	0	1	0	0	1
13.	Civil Hospital, Rani Durgawati, Jabalpur	DGO	4	1	1	0	0	2
14.	District Hospital, Sagar	DGO	2	1	0	0	0	1
15.	District Hospital, Satna	DCH	2	0	1	0	0	1
16.	District Hospital, Khandwa	DGM	2	0	1	0	0	1
17.	Kamla Nehru Gas Rahat Hospital, Bhopal	DGM	2	0	0	1	0	1
18.	Indira Gandhi, Gas Rahat, Hospital Bhopal	DGO	2	0	0	1	0	1
19.	Mansik Arogya Shala, Gwalior	DPM	4	1	0	1	1	1
Total CPS PG Diploma Seats			92	18	15	13	9	37
Reservation mandate				(20%)	(16%)	(14%)	(10%)	(40%)

Allotment Lookup Table

a. **URX = UR X**
b. **EWS X = UR X → EWS X**

Conversion Chart

Original Seat	Will be Converted Into
(ST,SC,OBC,EWS,UR)	Respective (ST,SC,OBC,EWS,UR) Open Seats
ST Seats	SC Seats
SC Seats	ST Seats
ST/SC Seats	OBC Seats
OBC Seats	EWS Seats
EWS Seats	UR Seats
UR Seats	UR Seats & All Converted Seats (if candidate of respective categories are unavailable)

//प्रारूप//

(मध्यप्रदेश में सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेशित नियमित चिकित्सा अधिकारी के लिए)

"बंध – पत्र"

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

(राशि रु. 10,000/– मूल्य के शपथ–पत्र पर)

फोटो

1. मैं, डॉ.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी .... म.प्र. के .... अस्पताल में सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2022–24) में प्रवेश हेतु सेवारत नियमित श्रेणी से आवंटन प्राप्त चिकित्सक हूँ ।
2. मैंने, मध्यप्रदेश सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा वर्ष 2022–24 में प्रवेश हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा प्रकाशित "प्रदेश में सी.पी.एस मुम्बई द्वारा संचालित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका" एवं तत्संबंधी अनुवर्ती विभागीय सूचनाओं को को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।
3. मैं, एतद् द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि: –

3.1 सीट लीविंग/नियमित सेवा बॉन्ड –

अ. मैं, जिला/सिविल अस्पताल में मध्यप्रदेश सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2022–24) में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगी/करूंगा।

ब. मैं, मध्यप्रदेश सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर अनिवार्य रूप से न्यूनतम 03 वर्ष तक चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।

स. मैं, सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2022–24) हेतु आवंटित सीट पर अध्ययन पूर्ण होने के पूर्व सीट छोड़ने/निष्कासित होने/निर्दिष्ट स्थान पर 03 वर्ष तक निर्बाध सेवा न करने की स्थिति में राशि रुपये 20 लाख का भुगतान शासन को करने का वचन देती/देता हूँ।

हस्ताक्षर
आवेदक

गवाह: –

1...

2...

अनुलग्नक–7

/ /प्रारूप/ /

(मध्यप्रदेश में सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेशित संविदा चिकित्सा अधिकारी के लिए)

"बंध – पत्र"

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

(राशि रु. 10,000/– मूल्य के शपथ–पत्र पर)

फोटो

1. मैं, डॉ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... म.प्र. के .... अस्पताल में सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2022–24) में प्रवेश हेतु सेवारत संविदा श्रेणी से आवंटन प्राप्त चिकित्सक हूँ ।
2. मैंने, मध्यप्रदेश सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा वर्ष 2022–24 में प्रवेश हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा प्रकाशित "प्रदेश में सी.पी.एस मुम्बई द्वारा संचालित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका" एवं तत्संबंधी अनुवर्ती विभागीय सूचनाओं को को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।
3. मैं, एतद् द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ किः –

3.1 सीट लीविंग/नियमित सेवा बॉन्ड –

अ. मैं, जिला/सिविल अस्पताल में मध्यप्रदेश सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2022–24) में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगी/करूंगा।

ब. मैं, म ध्यप्रदेश सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर अनिवार्य रूप से न्यूनतम 03 वर्ष तक चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।

स. मैं, सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2022–24) हेतु आवंटित सीट पर अध्ययन पूर्ण होने के पूर्व सीट छोड़ने/निष्कासित होने/निर्दिष्ट स्थान पर 03 वर्ष तक निर्बाध सेवा न करने की स्थिति में राशि रुपये 20 लाख का भुगतान शासन को करने का वचन देती/देता हूँ।

हस्ताक्षर
आवेदक

गवाहः –

1..

2..